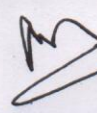


आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
08/06/24 15/06/24	आमिषीय उपभाषिणी शाना प्रभाती, बगौदा के प्रतिकेदन के आधार पर लोक सभा चुनाव 2024 के शानिपूर्ण निष्पादन हेतु इस वाद को द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। लोक सभा चुनाव 2024 के शानिपूर्ण एवं सलगपना का कार्य शानिपूर्ण सम्पन्न हो गया है। शाना की ओर से द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः न्यायमालि में इस वाद को समाप्त किया जाना हो पूर्व में निर्गत आदेश। वार्ड को स्थगित किया जाना है।  15.06.2024 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगौदा-सरिया (गिरिडीह)	